सलाहकारिता

तिथि: 25.03.2021

यूरोपीय संघ को बागवानी उत्पाद को निर्यात करने के लिए
पैकहाउस मान्यता-प्राप्त प्रमाण-पत्र के अनुदान हेतु संशोधित प्रक्रिया

एपीडा द्वारा निर्यात में उचित मानकों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यूरोपीय संघ को बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए पैक हाउस मान्यता प्रमाण-पत्र देने की प्रक्रिया को संशोधित किया गया है। यह योजना यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए ताज़े फल, सब्जियां आदि जैसे बागवानी उत्पाद की हैंडलिंग और प्रसंस्करण करने वाले पैकहाउसों के लिए लागू है।

सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**बिंदू**	**विवरण**
1.	योजना का स्कोप	इस योजना में यूरोपीय संघ को ताज़े फल, सब्जियां आदि जैसे ताज़ा बागवानी उत्पाद को निर्यात के इच्छुक पैकहाउस शामिल हैं। इस योजना में निर्यातकों, पैकहाउस मालिकों सहित हितधारक शामिल हैं।
2.	आवेदन हेतु प्रक्रिया	कृपया फॉर्म 1 में आवेदन करें।
3.	शुल्क	एपीडा वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से 15000/- रूपए (जीएसटी सहित) के आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
4.	आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़	एनपीओपी प्रमाण-पत्र को अपलोड करें।
5.	निरीक्षण प्रक्रिया	जैसा कि पैक हाउस मान्यता योजना में निर्दिष्ट है।

यू.के. वत्स
महाप्रबंधक